

अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के निलंबन की समीक्षा के संबंध में दिनांक 25.07.2025 को आहूत बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

1. श्री दीपक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।
2. श्री संजय कुमार,
संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।
3. श्री अभय झा,
संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।
4. मो० इजतवा हुसैन,
संयुक्त सचिव, वित्त विभाग।
5. श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह,
उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं०-13888 दिनांक 21.07.2023 एवं आदेश सं०-21590 दिनांक 23.11.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत 01 (एक) वर्ष से अधिक अवधि से निलंबित पदाधिकारियों/कर्मियों को निलंबन मुक्त किये जाने हेतु समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया।

परिपत्र सं०-13888 दिनांक 21.07.2023 के कंडिका-5(iii) में प्रावधानित किया गया है कि:-

“प्रत्येक अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उनके नियंत्रणाधीन 01(एक) वर्ष से ज्यादा अवधि से निलंबित सरकारी सेवकों के निलंबन की प्रत्येक 03(तीन) महीने में समीक्षा की जाय। ऐसे मामलों में यदि प्रतिवेदित आरोप गंभीर एवं संवेदनशील हो, तभी निलंबन को बरकार रखने का निर्णय लिया जाय। शेष मामलों में संबंधित सरकारी सेवक को निलंबनमुक्त करते हुए उन्हें ऐसे पद पर पदस्थापित किया जाय जहाँ से वे उनके विरुद्ध संचालित मामले को प्रभावित न कर सकें।”

उक्त के आलोक में समिति द्वारा वैसे पदाधिकारियों/कर्मियों जो एक वर्ष से अधिक अवधि से विभिन्न मामलों में निलंबित हैं, को निलंबन से मुक्त किये जाने के संबंध में समीक्षा की गयी।

समिति द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग के विभिन्न मामलों यथा रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, प्रत्यानुपातिक धनार्जन एवं पद का दुरुपयोग, दायित्व के प्रति लापरवाही, वित्तीय अनियमितता, योजनाओं के निर्माण कार्य में अनियमितता आदि से संबंधित निलंबित पदाधिकारियों/कर्मियों के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया : -

(क) ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार (TRAP CASE) के मामले:-

क्र० सं०	पदाधिकारी/कर्मि का नाम एवं पदनाम	निलंबन का आदेश एवं तिथि	समिति की अनुशंसा
1	श्री अरूण कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दाउदनगर। (सेवानिवृति की तिथि-31.12.2027)	1056 / 21.06.2022	ग्रामीण कार्य विभाग के पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने का मामला गंभीर भ्रष्टाचार की श्रेणी में होने एवं इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग के विभिन्न परिपत्रों में अंकित दिशा-निर्देशों के आलोक में समिति द्वारा वर्तमान में उन्हें निलंबन से मुक्त किये जाने पर विचार नहीं किया गया।
2	श्री सीताराम सहनी, तदेन सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद। (सेवानिवृति की तिथि-30.09.2027)	647 / 28.03.2023	
3	श्री नवाब लाल, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज। (सेवानिवृति की तिथि-31.10.2031)	30 / 22.02.2019	
4	श्री फुलेश्वर रजक, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया। (सेवानिवृति की तिथि-31.12.2032)	32 / 30.08.2022	
5	श्री राकेश कुमार सुमन, तदेन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दाउदनगर। (सेवानिवृति की तिथि-31.05.2033)	22 / 07.06.2022	

(ख) ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के प्रत्यानुपातिक धनार्जन (DA CASE) के मामले:-

क्र० सं०	पदाधिकारी/कर्मि का नाम एवं पदनाम	निलंबन का आदेश एवं तिथि	समिति की अनुशंसा
1	श्री खुर्रम सुल्तान, तदेन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज-1 (सेवानिवृत्ति की तिथि- 30.09.2035)	45 / 20.09.2022	ग्रामीण कार्य विभाग के पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन का मामला गंभीर भ्रष्टाचार की श्रेणी में होने एवं इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग के विभिन्न परिपत्रों में अंकित दिशा-निर्देशों के आलोक में समिति द्वारा वर्तमान में उन्हें निलंबन से मुक्त किये जाने पर विचार नहीं किया गया।
2	श्री सुभाष कुमार तदेन उच्चवर्गीय लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी। (सेवानिवृत्ति की तिथि- 30.11.2041)	956 / 21.02.2023	

(ग) ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध पद का दुरुपयोग, दायित्व के प्रति लापरवाही, वित्तीय अनियमितता, योजनाओं के निर्माण कार्य में अनियमितता आदि के मामले:-

क्र० सं०	पदाधिकारी/कर्मि का नाम एवं पदनाम	आरोप का संक्षिप्त विवरण	निलंबन/ विभागीय कार्यवाही का आदेश एवं तिथि	समिति की अनुशंसा
1	श्री अंजनी कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया। (सेवानिवृत्ति की तिथि- 31.12.2025)	अररिया जिला के सिकटी प्रखंड में PMGSY-2 अन्तर्गत T05-Nepal Border Jhala Chowk to Jakirparas Last Border पथ में बकरा नदी पर निर्माणाधीन क्षतिग्रस्त पुल में DPR, परिमाण विपत्र, निविदा,	निलंबन आदेश/तिथि - 1866 / 18. 06.2024	इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही अंतिम चरण में होने के कारण तत्काल निलंबन मुक्त किये जाने पर विचार नहीं किया गया।

		मापीपुस्त एवं गुणवत्ता संबंधी अनियमितताएँ ।		
2	श्री विरेन्द्र प्रसाद, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया सम्प्रति सहायक अभियंता । (सेवानिवृति की तिथि- 31.12.2028)	अररिया जिला के सिकटी प्रखंड में PMGSY-2 अन्तर्गत T05-Nepal Border Jhala Chowk to Jakirparas Last Border पथ में बकरा नदी पर निर्माणाधीन क्षतिग्रस्त पुल में DPR, परिमाण विपत्र, निविदा, मापीपुस्त एवं गुणवत्ता संबंधी अनियमितताएँ ।	निलंबन आदेश/तिथि - 1864/18. 06.2024	इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही अंतिम चरण में होने के कारण तत्काल निलंबन मुक्त किये जाने पर विचार नहीं किया गया ।
3	श्री मनोज कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2, अररिया सम्प्रति अधीक्षण अभियंता । (सेवानिवृति की तिथि- 30.04.2029)	कार्य प्रमंडल-2, अररिया द्वारा निविदा टू-बीड पद्धति के तहत आमंत्रित अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना 11/10-11 के निविदा ग्रुप सं0-2, 6, 8, 18, 23 एवं 24 के निविदा का मूल्यांकन निविदा के शर्तों के अनुरूप नहीं किये जाने संबंधी अनियमितता ।	निलंबन आदेश/तिथि - 1994/05. 07.2024	इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में श्री कुमार से बचाव का लिखित अभिकथन प्राप्त किया गया है। मामले में शीघ्र निर्णय संभावित होने की स्थिति को देखते हुए इन्हें तत्काल निलंबन मुक्त किये जाने पर विचार नहीं किया गया ।
4	श्री आशुतोष कुमार रंजन, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया । (सेवानिवृति की तिथि- 30.04.2044)	अररिया जिला के सिकटी प्रखंड में PMGSY-2 अन्तर्गत T05-Nepal Border Jhala Chowk to Jakirparas Last Border पथ में बकरा नदी पर निर्माणाधीन क्षतिग्रस्त पुल में DPR, परिमाण विपत्र, निविदा, मापीपुस्त एवं गुणवत्ता संबंधी अनियमितताएँ ।	निलंबन आदेश/तिथि - 1874/19. 06.2024	इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही अंतिम चरण में होने के कारण तत्काल निलंबन मुक्त किये जाने पर विचार नहीं किया गया ।

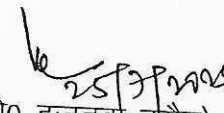


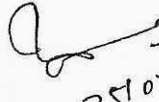


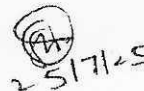
5	श्री मनीष कुमार, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया। (सेवानिवृत्ति की तिथि- 28.02.2049)	अररिया जिला के सिकटी प्रखंड में PMGSY-2 अन्तर्गत T05-Nepal Border Jhala Chowk to Jakirparas Last Border पथ में बकरा नदी पर निर्माणाधीन क्षतिग्रस्त पुल में DPR, परिमाण विपत्र, निविदा, मापीपुस्त एवं गुणवत्ता संबंधी अनियमितताएँ।	निलंबन आदेश/तिथि - 1868/18. 06.2024	इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही अंतिम चरण में होने के कारण तत्काल निलंबन मुक्त किये जाने पर विचार नहीं किया गया।
---	---	---	-------------------------------------	---

उक्त अनुशंसा के साथ बैठक की कार्यवाई समाप्त किया गया।


(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव
सामान्य प्रशासन
विभाग


(मो० इजतवा हुसैन)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग


(अभय झा)
संयुक्त सचिव
ग्रामीण कार्य
विभाग


(संजय कुमार)
संयुक्त सचिव
ग्रामीण कार्य
विभाग


(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :- 2/अ० प्र०-8-10/2023 8833 /पटना, दिनांक :- 14.8.25

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (निगरानी), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-4, 5, 6, 8/ सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2 एवं 3 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।


(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव